

आयकर विभाग  
शिमला -(हि०प्र०)

फोन न०/फैक्स:2650758/2650390

फ०स०-आ०आ०/शिमला/तक०-11/1/4-0/12क/2005-06/2859

कार्यालय  
आयकर आयुक्त  
शिमला ।

दिनांक : 22.6.2005  
23

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 12-क के अधीन आदेश :


~~आवेदन~~ आरगेनाइजेशन फार केरियर ऐजुकेशन एण्ड एनवारनमेंटल  
अवेयरनेस इन नेक्सट जेनेरेशन, डा० शाहपुर, जिला कांगड़ा ने आयकर  
अधिनियम,1961 की धारा 12-क के अधीन पंजीकरण के लिए निर्धारित  
प्रपत्र में दिनांक 26.5.2005 को आवेदन दाखिल किया है।

2. आयकर अधिनियम,1961 की धारा 12-क के अर्न्तगत आवेदन  
रजिस्टर की क्रमांक 4-0 पर उपरोक्त संस्था को न्यास के रूप में पंजीकृत कर  
दिया है । अतः आयकर अधिनियम,1961 की धारा 11 एवं 12 के अर्न्तगत  
न्यास को 24.9.2004 से पंजीकरण में लाभ मिलेंगे ।

ई.के.।  
( अशोक मनचन्दा )  
आयकर आयुक्त,  
शिमला ।

प्रति प्रेषित है :

1. पंजीकृत प्रति आवेदक को ।
2. आयकर अपर /संयुक्त आयुक्त पालमपुर रेंज, पालमपुर को ।
3. आयकर उपायुक्त / सहायक आयकर आयुक्त पालमपुर को ।

  
(जगदर्शन सिंह )  
आयकर अधिकारी,मुख्या(तक०)  
शिमला ।